व तारीख
म जो हुक्म
म में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 277 / 2022

निर्णय दिनांक :– 15/6/2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. पाना पुत्री केसरा जाति कीर निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. फूला पुत्री केसरा जाति कीर निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. बिशना पुत्र केसरा जाति कीर निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. मोहन पुत्र केसरा जाति कीर निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. राधा पुत्री केसरा जाति कीर निवासी सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर — **तहसीलदार दूनी**

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 288 खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1147 रकबा 0.19 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.789 है0 भूमि वाके ग्राम सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– ग्राम ग्राम सी के खाता संख्या 288 के ख. नं./रकबा 1111/0.07, 1115/0.11,1116/0. 1120/0.17, 1144/0.11, 1147/0.19 भूमि आवेदक की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड और कब्जेकाश्त में है। हां, आवेदक का पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद है। महावीर पुत्र अन्ना कीर ख. नं. 1119 रकबा 0.14 है0। नहीं आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमा पर राजकीय भूमि है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है परन्तु सीमा चिन्ह मिट चुके है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में अंकित खाता संख्या 288 खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1147 रकबा 0.19 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 0.789 है0 भूमि वाके ग्राम सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक में प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली